राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांकः एफ 40 (76) ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स–वन विभाग/2014 जयपुर, दिनांक 10 JUN 2015

परिपत्र

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजना के वन विभाग की योजनाओं से अभिसरण (Convergenc) कर कार्य सम्पादित किये जाने बाबत।

1. **प्रस्तावनाः–** राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों का वन विभाग से अभिसरण (कन्वर्जेन्स) कर सम्पादित किया जावे। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लाईन विभागो की सहभागिता से सम्पादन हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों के अनुसार वन विभाग द्वारा परियोजना तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। जिला/खण्ड स्तरीय नरेगा दर अनुसूची के आधार पर कार्यो के तकमीने तैयार किये जावेगें।

2. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वन विभाग से सम्बन्धित करवाये जाने वाले मुख्य कार्यः–

(i) वृक्षारोपण कार्य।
(ii) भू एवं जल संरक्षण के कार्य।
(iii) ईको– रेस्टोरेशन कार्य।
(iv) पशु अवरोधक फेन्सिंग/सूखे पत्थर/बोल्डर की दीवार आदि।
(v) चारागाह विकास के कार्य।
(vi) नर्सरी निर्माण/सुधार के कार्य।
(vii) सड़क/नहर किनारे वृक्षारोपण।
(viii) बीजारोपण के कार्य।
(ix) मेढ़ बंधान।
(x) फार्म पोण्ड निर्माण।
(xi) नाला बंधान/लघु स्टॉपडेम।
(xii) कृषि–उद्यानिकी।
(xiii) कृषि–वानिकी।

इसके अलावा अन्य कार्य राज्य सरकार के परामर्श पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन उपरान्त लिये जा सकते हैं।

3. **अनुमत कार्यो का संचालन निम्न प्रकार किया जाना आवश्यक है:–**

3.1 **कार्यों का सूचीकरणः–** प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले सामुदायिक कार्यों की प्राथमिकता तय कर सूची तैयार की जावेगी।

3.2 आरक्षित वन क्षेत्र जो "किसी ग्राम पंचायत की सीमा में वर्णित नहीं है", में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य की लोकेशन के साथ समीपस्थ ग्राम पंचायत का नाम अंकित करते हुये शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकेगा। अतः वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य किस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत है, कार्य सम्पादन किन माह/सीजन में होना है, कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि, कार्य की संबंधित जिला परिषद से लोकेशन तथा कार्य की उपयोगिता, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आंकलन के साथ कार्य के तकनीकी प्रतिवेदन में दर्शाना आवश्यक होगा।

3.3 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करनाः–** लेबर बजट के आधार पर संभावित रोजगार की मांग प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। लेबर बजट अनुसार सृजित हो सकने वाले मानव दिवस संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के वन विभाग से संबंधित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट वन विभाग द्वारा सुझाये गये कार्यों के आधार पर तैयार किया जावेगा। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों का संकलन नरेगा सॉफ्ट में किया जावेगा।

3.4 **कार्यों की प्राथमिकता तय करनाः–** महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची–1 में अनुमत कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक सीजन जैसे गर्मी, बरसात, शीत एवं बसंत ऋतु में कौन से कार्य लिए जाने हैं यह स्पष्ट हो सकें।

3.5 **लेबर बजट तैयार करनाः–** प्रत्येक जिलें में रोजगार की मांग के आधार पर सृजित होने वाले मानवदिवस एवं कियान्वित होने वाले कार्यों की लागत के अनुसार लेबर बजट तैयार किया जाना है। लेबर बजट त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अनुमोदित होना आवश्यक है।

3.6 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदनः–** ग्राम का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्राम सभा द्वारा, ग्रा.पं. में सम्मिलित सभी ग्रामों की ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन ग्रा.पं. द्वारा ग्राम पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन पं.स. द्वारा एवं पंचायत समितियों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जिला परिषद् द्वारा किया जावेगा।

3.7 **प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति जारी करनाः–** अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति महात्मा गांधी नरेगा योजना की तकनीकी मार्गदर्शिका अनुसार परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (PIA) के सक्षम तकनीकी अधिकारियों द्वारा जारी की जावेगी, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ वन विभाग द्वारा वहन की जाने वाली राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा जारी की जावेगी।

3.8 **कार्यों का क्रियान्वयनः–**

3.8.1 **भाग 'अ':–** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के तहत वन एवं पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित समस्त अनुमत गतिविधियों/कार्यों में श्रम प्रधान कार्य जैसे– डिच कम बण्ड फैन्सिंग, कन्टूर ट्रेंच, पिट्स, रिंग पिट्स, पौधों को पानी पिलाने के लिए श्रमिक, चौकीदार आदि आवश्यक रूप से महात्मा गांधी नरेगा योजना से वित्त पोषित किये जावें। महात्मा गांधी नरेगा योजना मद से की जाने वाली गतिविधियां महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार मजदूरी एवं सामग्री का निर्धारित अनुपात 60:40 रखते हुए सम्पन्न की जावेगी। कार्य की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत होने पर श्रम सामग्री अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर एवं कार्यकारी संस्था वन विभाग होने पर जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा।

3.8.2 **भाग 'बः– वन या अन्य विभागों की योजनाओं से वित्त पोषित कार्यः–** उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.8.1 (भाग–'अ') में दर्शाये गये कार्यो में से सामग्री प्रधान गतिविधियों का कार्य, अतिरिक्त सामग्री राशि का व्यय एवं अनुमत कार्यों के अतिरिक्त कार्य जैसे–वृक्षारोपण के लिए उर्वरक, बीज, पौधे, पेस्टीसाईड एवं ट्री गार्ड, सड़क किनारे या अन्य भूमि में वृक्षारोपण कार्य के लिए वायर फैंसिंग, अभ्यारण्य के लिए पक्की बाउण्डरीवाल, गेट, वृक्षों में पानी देने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति, बोरिंग आदि निर्माण कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–राजस्थान मे अनुज्ञेय नहीं हैं तथा श्रमिक अभाव में बिन्दु संख्या 3.8.1 (भाग–'अ') में वर्णित महात्मा गांधी नरेगा मद से भारित अधूरे कार्य कराये जाने की आवश्कयता हो तो उक्त कार्यों का भी भाग–'ब' में समावेश करते हुए योजना का प्रस्ताव तैयार किया जावे। उक्त कार्य वन विभाग, अन्य विभागों की योजनाओं तथा State CAMPA Fund (State Compensatory Afforestation Fund Management & Planning Authority) आदि से वित्त पोषित किये जायेंगे। इस हेतु वन विभाग की राज्य योजना में वन विभाग द्वारा पृथक से प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। उक्त भाग का कार्य वन विभाग में प्रचलित बी.एस.आर. नॉर्म्स, प्रचलित पद्धतियों, प्रणालियों व प्रक्रियानुसार ठेका पद्धति सहित वन विभाग द्वारा किया जा सकेगा। उक्त भाग के कार्यों का भुगतान भी वन विभाग की प्रचलित प्रणालियों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

3.8.3 **वन विभाग के कार्य** श्रम आधारित होते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित योजना होने से कई मौकों पर श्रमिकों की अनुपलब्धता रह सकती है, ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी नरेगा मद से वित्त पोषित किये जाने वाले अधूरे कार्यों को भी भाग–'ब' में सम्मिलित कर उनका क्रियान्वयन वन विभाग के मद से भारित कर, वन विभाग की प्रचलित बीएसआर, नोर्म्स, प्रचलित पद्धतियो/प्रणालियों के अनुसार किया जा सकेगा। वन विभाग के मद से वित्त पोषित किये जाने वाले कार्य ठेका पद्धति से भी कराये जा सकते हैं।

3.9 परियोजना कियान्वयन संस्था (पीआईए):–

3.9.1 भाग–'अ':– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्त पोषित कार्यों के लिए परियोजना क्रियान्वयन संस्था ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग रहेगी। क्रियान्व्यन संस्था ग्राम पंचायत होने पर तकनीकी मार्गदर्शन व ब्रोड सुपरविजन का कार्य वन विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

3.9.2 भाग–'ब':– वन विभाग की योजनाओं से वित्त पोषित कार्यों के लिए परियोजना क्रियान्वयन संस्था वन विभाग रहेगी तथा सम्पूर्ण सुपरविजन का कार्य वन विभाग द्वारा ही किया जाएगा।

4 कार्यों के कियान्वयन में महात्मा गांधी नरेगा की अपरक्राम्य प्रकिया का अनुपालनः– बिन्दु संख्या 3.8.1 (भाग–'अ') में दर्शाये गये कार्यो में महात्मा गाधी नरेगा की राशि का उपयोग होना है, अतः इसमें योजना की प्रकिया का अनुपालन महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावेगा।

4.1 इसके निर्माण में अकुशल श्रम का कार्य, योजनान्तर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों से ई–मस्टररोल पर कराया जाएगा। अकुशल एवं कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु जारी किये गए ई–मस्टररोल नरेगा सॉफ्ट पर संधारित किये जावेंगे तथा कार्य के दौरान उपस्थिति हेतु स्थल पर ही रखे जावेगे।

4.2 कार्य पर ठेका पद्वति प्रतिबंधित रहेगी।

4.3 जहां तक कार्य मानव श्रम से सम्भव हो वह श्रमिकों से करवाया जावें अर्थात् मानव श्रम के बदले श्रमिक विस्थापित मशीनों (Labour Displacing Machines) का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

4.4 सामग्री का कय पंचायत में लागू नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर किया जावेगा।

4.5 ईएफएमएस के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में किया जावेगा।

4.6 रोजगार सृजन का पूर्ण रिकार्ड रखा जावेगा।

4.7 कार्यों के कियान्वयन में कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत रहने पर महात्मा गांधी नरेगा मद से किया जाने वाला व्यय निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात 60:40 में ग्राम पंचायत स्तर पर एवं कार्यकारी संस्था वन विभाग रहने पर जिला स्तर पर संधारित किया जाना होगा।

4.8 कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

5 कन्वर्जेन्स हेतु कार्य योजनाः–

5.1 कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., उप वन संरक्षक, की संयुक्त बैठक आहूत की जावेगी एवं प्रत्येक ग्रा.पं. महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों के लिए रणनीति/कार्य योजना तैयार की जावेगी।

5.2 उक्त दिशा–निर्देशों के कियान्वयन सुनिश्चित करने के कम में उप वन संरक्षक, जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., विकास अधिकारी, पं.स., से लगातार समन्वय स्थापित किया जावे।

5.3 वन विभाग के समस्त रेंजर/फोरेस्टर ग्रा.पं. के वार्षिक कार्य योजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित कराने हेतु ग्रा.पं. से समन्वय तथा सम्पर्क स्थापित करेंगे। उप वन संरक्षक, जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. के मार्गदर्शन में समस्त रेंजर/फोरेस्टर को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे एवं उक्त कार्यो के कियान्वयन में सेतु का निर्वहन भी करेंगे।

5.4 उप वन संरक्षक कार्य के मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण में भी ग्राम पंचायतों को सतत एवं सकिय रुप से सहयोग प्रदान करेंगे। कार्य की एजेन्सी ग्रा.पं. होने के कारण लेखा संधारण निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जावेगा एवं अंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा। इसके साथ ही प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा।

5.5 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्त पोषित कार्यों (भाग 'अ') में श्रमिकों का भुगतान उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस में फ्रीज किए गए खाते में पं.स. स्तर से एफटीओ के माध्यम से निर्धारित अवधि में किया जावेगा। जिन श्रमिकों के बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाते नहीं खुले हुए है उन श्रमिकों के खाते खुलवाने में ग्रामीण पर्यवेक्षक सहयोग करेंगे। उक्त मद में सामग्री का भुगतान भी महात्मा गांधी नरेगा

PTO

की गाईड लाईन के अनुसार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को उसके बैंक खाते में ईएफएमएस प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

5.6 वन विभाग के अभिसरण से सम्पादित कार्यों (भाग 'ब') में वन विभाग की मद से किये जाने वाले कार्यों में कार्यकारी संस्था वन विभाग ही रहेगी एवं इन कार्यों का भुगतान वन विभाग की प्रचलित प्रणालियों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

5.7 मॉनीटरिंगः– महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की मॉनीटरिंग वन विभाग के अधिकारियों एवं महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों तथा समय–समय पर स्वतंत्र राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर्स द्वारा की जाती है। अतः उक्त अधिकारियों के निरीक्षण के समय वन विभाग के सम्बन्धित फील्ड अधिकारी उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुये स्थल निरीक्षण करावेंगे।

5.8 सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिताः– महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य का सम्बन्धित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना अनिवार्य है। अतएव सामाजिक अंकेक्षण के समय वन विभाग के फील्ड स्टॉफ में से कार्य से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को ग्राम सभा में उपस्थित होकर कराये गये कार्य का जानकारी दिये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

6 **लाईन विभागों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में देय कन्टींजेन्सीः–**

6.1 इस सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.02.2010 एवं 31.08.2010 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान की तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 में भी बिन्दु संख्या 6.3.3 (1) में भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के तकमीनों में अधिकतम 2 प्रतिशत कन्टींजेन्सी अथवा वास्तविक व्यय में से, जो भी कम हो, वह इस मद में देय होगा। नवीनतम विभागीय निर्देश दिनांक 31.08.2010 के अनुसार 2 प्रतिशत कन्टींजेन्सी व्यय सामग्री मद से निम्न शर्तों की पूर्ति के उपरान्त किया जायेगाः–

6.1.1 कन्टींजेन्सी व्यय तकमीने का भाग होगा।

6.1.2 कन्टींजेन्सी पर किया जाने वाला व्यय/क्रय वित्तीय नियमों की नियमानुसार पालना करते हुए किया जावे।

6.1.3 लाईन विभागों द्वारा कन्टींजेन्सी पर व्यय राशि के बिलों का पृथक से रजिस्टर संधारित करना होगा। इसमें कार्यवार व्यय बिलों का विवरण होगा। उक्त रजिस्टर निरीक्षण पर जाने वाले विभागीय अधिकारियों तथा ऑडिट के मांगने पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

6.1.4 कन्टींजेन्सी पर व्यय राशि के बिलों का भुगतान करने के तत्काल बाद एम.आई.एस. पर फीडिंग कराने का दायित्व लाईन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

6.2 तकमीने में ली जाने वाली कन्टींजेन्सी में निम्न कार्य अनुमत हैः–

6.2.1 Survey, design, drawings and estimate preparation.

6.2.2 Preparation of tender documents and NIT publication charges.

6.2.3 Hire charges of vehicle and POL for inspection of works.

6.2.4 Photography, videography and documentation.

6.2.5 Consumable items related to Quality Control and Plantation maintenance.

6.2.6 Any small item left out from estimate due to unforeseen circumstances, any additional item that is required to ensure proper use of approved/executed work.

6.2.7 Quality control of works.

6.3 Technical staff like STA/JTA may be provided from the pool to be maintained at the DPC/PO level as per requirements of the field officers of the Forest Department exclusively for NREGS works of the department. Hence it should not include in contingency items.

6.4 MoRD GoI has issued detailed guidelines on dated 21.08.2014 that with effective from 1.10.2014 the provision for payment of technical assistants/barefoot engineers will be made from the skilled wage (material) component of the work fulfilling these conditions:-

6.4.1 All positions of Technical Assistants/ barefoot engineers @ one for every 2,500 active job cards shall necessarily be filled by the State Governments.

6.4.2 For this purpose, suitable provision shall be made in every work estimate and the amount shall be credited in the account from which remuneration for these functionaries is paid.

7 महात्मा गांधी नरेगा के तहत लाईन विभागों विशेषतः वन विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये हैं, जिनमें से दि0 02.04.2009, 06.04.2009, 12.11.2009, 24.12.2009, 16.02.2010, 23.04.2010, 31.08.2010 14.09.2011, उल्लेखनीय हैं। सभी परिपत्र महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान की वैबसाईट nrega.raj.nic.in एवं rdprd.gov.in पर सम्बन्धित लिंक सर्कुलर नाम से नियमित रूप से अपलोड किये जाते हैं एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन इस वैबसाईट पर उपलब्ध है। भारत सरकार से मुज्जफरपुर मॉडल के पैटर्न पर सड़क किनारे वृक्षारोपण के सम्बन्ध में दिनांक 10.09.2012 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। अतः सभी सम्बन्धितों द्वारा इन वैबसाईट एवं भारत सरकार की वैबसाईट nrega.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन किया जावे।

8 उक्त कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के वन विभाग के कार्यों के साथ कन्वर्जेन्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त परिपत्र पर त्वरित तथा प्राथमिकता से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(ओ.पी. मीणा)
अति. मुख्य सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग

(श्रीमत् पाण्डेय) 05/6/2015
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रा.वि. एवं पंचा. राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचा. राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF/ TREE/ WP&FS/ Wild Life), राजस्थान जयपुर।
8. समस्त मुख्य वन संरक्षक, संभागीय / वन्य जीव, राजस्थान।
9. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

PCEGS 10/6/15

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(72)2012 / ई.जी.एस. / विकास / प्रमुवसं / 2070–215 दिनांक : **19.06.2015**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अक्षरशः अनुपालना करने हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / अजमेर / भरतपुर / बीकानेर / वन्य जीव, जयपुर / वन्य जीव, जोधपुर / वन्य जीव, कोटा / वन्य जीव, उदयपुर / वन्य जीव, भरतपुर / बनास, जयपुर / आर.वी.पी.कोटा।
2. उप वन संरक्षकगण (समस्त राजस्थान)

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(ई.जी.एस.) राजस्थान, जयपुर